

(d) The total assets of the Directors of the company in terms of their share-holdings are as under :

Name of Director	No. of shares held
1. J. M. A. Mohamed Farouq	45 shares of Rs. 1000/- each
2. J. M. Kamaludin	5 Shares of Rs. 1000/- each
3. G. Krishnamurthy Iyer	Nil
4. K. Santha	20 shares of Rs. 1000/- each
5. K. Vimala	—do—
6. K. Padma	—do—

Meeting of Representatives of Industrial and Commercial Organisations with Adviser to West Bengal Governor

10252. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representatives of various Industrial and Commercial Organisations met the Principal Adviser to the West Bengal Governor on the 24th April, 1970 ;

(b) if so, the main points discussed ;

(c) whether the Principal Adviser is reported to have stated that Government are taking steps to create better industrial atmosphere in the State ; and

(d) if so, the details of the scheme drawn up in this connection ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में लोकनायक समिति का प्रतिवेदन

10253. श्री मोल्लू प्रसाद : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के

उद्योग सम्बन्धी बोर्ड ने जून, 1969 में उस उप-समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया था जिसका छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में डा० पी० एस० लोकनायक की अध्यक्षता में गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और क्या भारत सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। जनवरी, 1970 में हुई अपनी बैठक में लघु उद्योग बोर्ड ने प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया था।

(ख) और (ग). बोर्ड की प्रमुख सिफारिशें थी कि सामान्य तौर पर लघु उद्योगों तथा प्रमुख रूप में सहायक उद्योगों का भावी विकास वैधानिक आधार पर किया जाना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में उपयुक्त कानून तैयार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिये। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर रेलवे सलाहकार समितियां

10254. श्री मोल्लू प्रसाद : क्या रेलवे मंत्री राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर रेलवे सलाहकार समितियों के बारे में 21 अप्रैल, 1970 के अतारंकित प्रश्न संख्या 6932 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औपचारिक सलाहकार समितियों के बारे में जानकारी न देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : जिस प्रश्न का उल्लेख किया गया है उसके उत्तर में औपचारिक परामर्श समितियों के सम्बन्ध में सूचना दी जा चुकी है।